विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-30 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
30 (क) क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 में प्लागस्टिक के बैग आदि पर प्रतिबन्ध् है ?	जी हाॅ। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों (Disposable Plastic Carry Bags) के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्ड़ारण, परिवहन, आयात या निर्यात को दिनांक 02.10.2018 से प्रतिबन्धित किया गया है।
(ख) यदि हाँ, तो प्लास्टिक के किन-किन उत्पादों पर प्रतिबन्ध है और किन उत्पादों को उक्त प्रतिबन्ध से मुक्त रखा गया है, उसका सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैग एवं प्लास्टिक या थर्मोकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात निस्तारण योग्य कपों, गिलासो, प्लेटो, चम्मचों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, भण्डारण, परिवहन आयात या निर्यात को प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में प्रतिबन्धित किया गया है। तद्सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 15.07.2018 की प्रति संलग्न है।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नही उठता।

एo केo शर्मा
मंत्री,
नगर विकास विभाग।

BL-question ka ans & letter

क्रम-संख्या-153

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन0पी0–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, रविवार, 15 जुलाई, 2018

आषाढ़ 24, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग–7

संख्या 1056 / 9-7–18-29(लखनऊ)-18
लखनऊ, 15 जुलाई, 2018

अधिसूचना

प0आ0–178

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 6क, 7, 12 और 13क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल,–

(क) अनुच्छेद 243 थ के अधीन गठित नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में 50 माइक्रोन से कम घनत्व के प्लास्टिक कैरी बैगों और 50 अथवा उससे अधिक माइक्रोन के घनत्व के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों, जिनके विनिर्माता का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या न हों, के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रतिषिद्ध करते हैं;

(ख) अनुच्छेद 243 थ के अधीन गठित नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में प्लास्टिक या थर्मोकोल से निमित्त एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य कपों, गिलासों, प्लेटों, चम्मचों, टंबलरों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को, दिनांक 15 अगस्त, 2018 से प्रतिशिद्ध करते हैं;

(ग) अनुच्छेद 243 थ के अधीन गठित नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों के

उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को दिनांक 2 अक्टूबर, 2018 से प्रतिशिद्ध करते हैं;

(घ) अधिनियम में यथा उपबंधित स्थानीय प्राधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य, अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्रों के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रदत्त करते हैं:–

(एक) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट और परगना मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश;

(दो) उत्तर प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों के समस्त नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, कार्यपालक अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, सफाई निरीक्षक (क्रमशः नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों की अनुज्ञा से);

(तीन) सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, समस्त पर्यावरण अभियन्ता, वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, अवर अभियंता और वैज्ञानिक सहायक, राज्य प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश;

(चार) निदेशक, पर्यावरण, उप निदेशक, पर्यावरण और सहायक निदेशक, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश;

(पाँच) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश;

(छः) समस्त उप/सहायक माल एवं सेवाकर अधिकारी, उत्तर प्रदेश;

(सात) समस्त प्रभागीय वन अधिकारी, उप प्रभागीय अधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश;

(आठ) समस्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार, उत्तर प्रदेश;

(नौ) समस्त पर्यटन अधिकारी और सहायक पर्यटन अधिकारी, उत्तर प्रदेश;

(दस) समस्त जिला पूर्ति अधिकारी और खाद्य निरीक्षक, उत्तर प्रदेश;

(ग्यारह) समस्त खाद्य एवं सुरक्षा निरीक्षक, उत्तर प्रदेश;

(बारह) उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सहायक प्रबंधक, अवर अभियन्ता और उससे ऊपर के अधिकारियों की श्रेणी के समस्त अधिकारी;

(ङ.) अपराधों का शमन करने वाले अधिकारियों द्वारा वसूल की जाने वाली निम्नलिखित शमन फीस विनिर्दिष्ट करते हैं:–

क्रम सं0(क)	प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैरी बैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा	धनराशि रुपयों में
1	100 ग्राम तक	1,000
2	101 ग्राम–500 ग्राम	2,000
3	501 ग्राम–1 किलोग्राम	5,000
4	1 किलोग्राम–5 किलोग्राम	10,000
5	5 किलोग्राम से अधिक	25,000
(ख)	किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/ होटलों/ दुकानों/ रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अंतर्गत और सड़कों, मार्गों, नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना;	25,000

क्रम सं0(क)	प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैरी बैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा	धनराशि रुपयों में
(ग)	व्यक्तियों द्वारा किन्हीं निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों यथा शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/ होटलों/ दुकानों/ रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/ भोजन कक्षों आदि में और सड़कों, मार्गों, नदियों, झीलों, सार्वजनिक पार्कों, वन क्षेत्रों और समस्त सार्वजनिक स्थानों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना	1,000

(च) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन गठित औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पूर्वोक्त अधिनियम में यथा उपबंधित स्थानीय प्राधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य प्रदत्त करते हैं;

(छ) यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन अभिग्रहीत सामग्री का निस्तारण, पुनः उपयोगकर्ताओं या सह प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से पर्यावरणीय रूप में सौहाद्रपूर्ण रीति से किया जायेगा।

2–एदत्पूर्व यथा उपबंधित के सिवाय यह अधिसूचना गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1056/IX-7-18-29(Lucknow)-18, dated July 15, 2018:

No-1056/IX-7-18-29 (Lucknow)-18

Dated Lucknow, July 15, 2018

IN exercise of the powers under sections 6A, 7, 12, and 13 A of the Uttar Pradesh Plastic and other Non-Biodegradable Garbage (Regulation) Act, 2000 (U.P. Act no. 29 of 2000), the Governor is pleased to,-

(a) prohibit in areas falling in a Nagar Panchayat, Nagar Palika, Nagar Nigam or Industrial Township of the state constituted under Article 243Q, the use, manufacture, sale, distribution, storage, transport, import or export of plastic carry bags of thickness less than 50 microns and disposable plastic carry bags of thickness 50 microns or above not having the name and registration number of manufacturer with effect from the date of the publication of this notification in the *Gazette*.

(b) prohibit in areas falling in a Nagar Panchayat, Nagar Palika, Nagar Nigam or Industrial Township of the state constituted under Article 243Q, the use, manufacture, sale, distribution, storage, transport, import or export of cups, glasses, plates, spoons, tumblers, etc. made up of plastic or thermocol disposable after one time use with effect from August, 15, 2018.

(c) prohibit in areas falling in a Nagar Panchayat, Nagar Palika, Nagar Nigam or Industrial Township of the state constituted under Article 243Q, the use, manufacture, sale, distribution, storage, transport, import or export of all kinds of disposable plastic carry bags with effect from October, 2, 2018.

(d) confer such powers and duties of Local Authority as provided in the Act on the following officers in the areas of their jurisdiction:-

(i) All the District Magistrates, Additional District Magistrates and Sub-Divisional Magistrates in Uttar Pradesh.

(ii) All Municipal Commissioners, Additional Municipal Commissioners, Executive Officers, Zonal Officers, Sanitary Inspectors (with permission of Municipal Commissioner and Executive Officers respectively) of the Urban Local Bodies in Uttar Pradesh.

(iii) Member Secretary, State Pollution Control Board, All the Environmental Engineer, Scientific Officers, Assistant Environmental Engineer, Assistant Scientific Officers, Junior Engineer, and Scientific Assistant of State Pollution Control Board in Uttar Pradesh.

(iv) Director, Environment, Deputy Director Environment, and Assistant Director Environment in Uttar Pradesh.

(v) All the Chief Medical Officers and Medical Officers in Uttar Pradesh.

(vi) All the Deputy / Assistant Goods and Services Tax Officers in Uttar Pradesh.

(vii) All the Divisional Forest Officers, Sub-Divisional Officers and Range Officers in Uttar Pradesh.

(viii) All the Tehsildars and Naib Tehsildars in Uttar Pradesh.

(ix) All the Tourism Officers and Assistant Tourism Officers in Uttar Pradesh.

(x) All the District Supply Officers and Food Inspectors in Uttar Pradesh.

(xi) All the Food and Safety Inspectors of Uttar Pradesh.

(xii) All the officers of rank Assistant Manager, Junior Engineer and above in Industrial Development Authorities in Uttar Pradesh.

(e) specify as under, composition fee to be realized by the officers compounding the offences:-

Sl. No. (A)	Quantity of prohibited variety of disposable polythene carry-bags, plastic and thermocol items	Amount in Rupees.
1	Up to 100 gms	1,000
2	101gms -500 gms	2,000
3	501 gms - 1 kg	5,000
4	1 kg – 5 kg	10,000
5	More than 5 kg	25,000
(B)	Littering of plastic waste by any institution / commercial institution / commercial establishment / educational institutions / offices / hotels / shops / restaurants / sweetshops / dhabas / industrial establishments / banquet halls etc. within premises and on roads, streets, drains, rivers, lakes, ponds, forest areas, public parks, all public places etc.	25,000
(c)	Littering of plastic waste by individuals in the premises of any private or commercial establishments like educational institutions, offices, hotels, shops, restaurants, sweet shops, dhabas, industrial establishments, banquet halls etc. and on roads, streets, rivers, lakes, public parks, forests area and all public places etc.	1,000

(f) confer such powers and duties of Local Authority as provided in the aforesaid Act, on the Industrial Development Authority, constituted under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976.

(g) specify that the material seized under the provisions of the said Act shall be disposed of in an environment friendly manner through recyclers or co-processing units.

2. Save as provided here in before this Notification shall come into force with effect from the date of its publication in the *Gazette*.

By order,
MANOJ KUMAR SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 156 राजपत्र(हि०)–2018–(380)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 3 सा० नगर विकास–2018–(381)–200 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।